ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00073

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 18/2019

1. आत्माराम पुत्र हजारी राम जाति जाट निवासी चक 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. नन्दराम पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्राम पंचायत 18 जीजी गोविन्दपुरा जरिये सरपंच/सचिव

अप्रार्थी

निगरानी विरूद्व

उपस्थित : 1. श्री मोहनलाल माहर, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री गुरचरण सिंह, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01

:: आदेश:: **दिनांकः—28.02.2022**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि '' प्रार्थी गांव 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का जागरूक स्थाई निवासी है। प्रार्थी के निवास स्थान के आगे आबादी भूमि के स्वीकृत नक्शानुसार सार्वजनिक डिग्गी व जोहड़ पायतन का उपयोग व उपभोग ग्राम वासियों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान राजस्व अभिलेखानुसार ग्राम पंचायत 18 जीजी गोविन्दपुरा के पुराना/नया मुरब्बा नम्बर 66/17 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 15.00 बीघा तथा पुराना/नया मुरब्बा नम्बर 65/16 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 कुल 5.00 बीघा कुल तादादी रकबा 20.00 बीघा में आबादी भूमि तथा मुरब्बा नम्बर 12 के कुल 13.00 बीघा में 6.00 बीघा को राजकीय विद्यालय को आवंटित किया गया है। शेष भूमि जोहड़ पायतन एवं सार्वजनिक डिग्गी स्थिति है। पूर्व में सार्वजनिक जोहड़/डिग्गी की भूमि में तत्कालीन सरपंच द्वारा भूखण्ड संख्या 197—ए,बी,सी,डी, तथा 384 ए भूखण्ड को बिना किसी विधिक कानूनी प्रकिया की पालना एवं बिना क्षेत्राधिकार के भूखण्ड आवंटित किये गये थे जो कि माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी अनुवानी विकास अधिकारी बनाम ग्राम पंचायत वगैरा निगरानी संख्या 56/2008, 79/2008 तथा 88/2008 में आदेश दिनांक 11.08.2010 के द्वारा निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर भूखण्ड निरस्त किये जाकर पंचायत समिति श्रीगंगानगर को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये गये कि उभयपक्ष एवं राज्य पक्ष तहसीलदार को समूचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत् आदेश पारित करें। गौर तलब है कि पंचायत समिति श्रीगंगानगर आज दिनांक तक कोई विधिसंगत समूचित कार्यवाही नहीं की है। प्रार्थी द्वारा एक लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2018 को श्रीमान जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर को इस आश्य का प्रस्तुत किया कि सरपंच

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

द्वारा उप सरपंच के पति विजय कुमार के रिश्तेदार अप्रार्थी तथा भाई नन्दराम पुत्र श्योचन्द द्वारा सार्वजनिक डिग्गी स्थल पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण दीवार बनाई गई जिसे ध्वस्त किया जावें। जांच प्रतिवेदन पंचायत प्रसार अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 23.08.2018 द्वारा आवंटन कानूनन दुर्षित होने के कारण पट्टे निरस्त करने हेतु अनुशंषा की गई। वर्तमान समय में जांच कार्यवाही में कोई न्यायसंगत कार्यवाही नहीं होने से यह निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुता किया जा रहा है:–

(क) निगरानीधीन आदेश एक पक्षीय रूप से बिना कानून की विहित प्रक्रिया की पालना एवं बिना क्षेत्राधिकार आदेश पारित किया गया है चूंकि निगरानीधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जो आवेदन प्रस्तुत करने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिये शिकायत दिनांक 15.10.2018 के जांच प्रतिवेदन दिनांक 23.08.2018 के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। ग्राम पंचायत के अभिलेख आने पर प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ख) निगरानी आदेश दिनांक 05.06.2017 बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड निर्विवादित रूप से सार्वजनिक डिग्गी स्थल में स्थित है जिसे ग्राम पंचायत ट्रस्टी की हैसियत से धारण कर सकती है ना कि आबादी भूमि में से पट्टे काटकर आवंटन कर सकती है। पूर्व में भी माननीय न्यायालय द्वारा सार्वजनिक डिग्गी स्थल में से काटे गये भूखण्ड संख्या 197–ए,बी,सी,डी, तथा 384–ए का आवंटन दिनांक 30.09.2010 को निरस्त किया गया है।

(ग) निगरानी आदेश से पूर्व विधि द्वारा स्थापित न्यायिक प्रक्रिया की पालना विचारण न्यायालय द्वारा कतई नहीं की गई। विधि अनुसार आवंटन से पूर्व आबादी भूमि में से प्लान तैयार कर निलामी हेतु प्लाटों को सूचिबद्व किया जाकर सार्वजनिक रूप से आवेंदन पत्र आमत्रित कर एतराजात का निस्तारण कर निलामी प्रक्रिया सार्वजनिक स्थलन (पंचायत घर) पर सम्पादित कर निलामी की जानी चाहिये थी। तत्पश्चात निलामी समिति द्वारा निलामी की स्वीकृति प्राप्त उपरान्त पट्टा जारी किया जाना चाहिये था, परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कोई कानून संगत कार्यवाही नहीं कर अवैध एवं शुन्य निगरानाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है।

(घ) अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने पद का दुरूपयोग कर उप सरपंच के पति के रिश्तेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उदेश्य से आवंटन किया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 के पास पूर्व से ही आबादी भूमि में भूखण्ड है और वहां स्थाई निवास कर रहा है।

(ड़) प्रश्नगत आवंटित भूखण्ड सार्वजनिक डिग्गी स्थल में से किया गया है। डिग्गी मौके पर मौजूद है और डिग्गी का सार्वजनिक उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर की शिकायत जांच से पट्टा निरस्ती की कोई समुचित कार्यवाही नहीं होने से श्रीमान के समक्ष न्याय की गुहार प्रेषित की जा रही है।

निगरानाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से, बिना क्षेत्राधिकार एवं बिना कानूनी प्रक्रिया की पालना में पारित किया गया है। निगरानाधीन आदेशक ी जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 15.10.2018 उस वक्त हुई जब अप्रार्थी संख्या 1 ने सार्वजनिक डिग्गी स्थल पर अवैघ अतिक्रमण किया। इस पर प्रार्थी ने लिखित

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

शिकायत श्रीमान जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। जांच प्रतिवेदन दिनांक 23.08.2018 दिनांक 05.11.2018 में स्पष्ट पट्टे निरस्ती की कार्यवाही हेतु अनुशंषा की गई लेकिन कोई समूचित कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई, जानकारी से निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। इस हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुता कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत 18 जी.जी. गोविन्दपुरा के आदेश दिनांक 05.06.2017 जिसकी रूह से सार्वजनिक डिग्गी स्थल में से 25X35 फुट का भूखण्ड आवंटित किया गया है–को निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि '' प्रार्थी के निवास स्थान के आगे आबादी भूमि के स्वीकृत नक्शानुसार सार्वजनिक डिग्गी व जोहड़ पायतन का उपयोग व उपभोग ग्राम वासियों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान राजस्व अभिलेखानुसार ग्राम पंचायत 18 जीजी गोविन्दपुरा के पुराना/नया मुरब्बा नम्बर 66/17 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 15.00 बीघा तथा पुराना/नया मुरब्बा नम्बर 65/16 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 कुल 5.00 बीघा कुल तादादी रकबा 20.00 बीघा में आबादी भूमि तथा मुरब्बा नम्बर 12 के कुल 13.00 बीघा में 6.00 बीघा को राजकीय विद्यालय को आवंटित किया गया है। शेष भूमि जोहड़ पायतन एवं सार्वजनिक डिग्गी स्थिति है। पूर्व में सार्वजनिक जोहड़/डिग्गी की भूमि में तत्कालीन सरपंच द्वारा भूखण्ड संख्या 197–ए,बी,सी,डी, तथा 384 ए भूखण्ड को बिना किसी विधिक कानूनी प्रकिया की पालना एवं बिना क्षेत्राधिकार के भूखण्ड आवंटित किये गये थे जो कि माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी अनवानी विकास अधिकारी बनाम ग्राम पंचायत वगैरा निगरानी संख्या 56/2008, 79/2008 तथा 88/2008 में आदेश दिनांक 11.08.2010 के द्वारा निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर भूखण्ड निरस्त किये जाकर पंचायत समिति श्रीगंगानगर को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये गये कि उभयपक्ष एवं राज्य पक्ष तहसीलदार को समूचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत् आदेश पारित करें। पंचायत समिति श्रीगंगानगर आज दिनांक तक कोई विधिसंगत समूचित कार्यवाही नहीं की है। प्रार्थी द्वारा एक लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2018 को श्रीमान जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर को इस आश्य का प्रस्तुत किया कि सरपंच द्वारा उप सरपंच के पति विजय कुमार के रिश्तेदार अप्रार्थी तथा भाई नन्दराम पुत्र श्योचन्द द्वारा सार्वजनिक डिग्गी स्थल पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण दीवार बनाई गई जिसे हटाया जावें। जांच प्रतिवेदन पंचायत प्रसार अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 23.08.2018 द्वारा आवंटन कानूनन दुर्षित होने के कारण पट्टे निरस्त करने हेतु अनुशंषा की गई। निगरानीधीन आदेश एक पक्षीय रूप से बिना कानून की विहित प्रकिया की पालना एवं बिना क्षेत्राधिकार आदेश पारित किया गया है। विवादित भूखण्ड संख्या 197 (ख) सार्वजनिक डिग्गी स्थल में स्थित है जिसे ग्राम पंचायत ट्रस्टी की हैसियत से धारण कर सकती है ना कि आबादी भूमि में से पट्टे काटकर आवंटन कर सकती है। सार्वजनिक डिग्गी स्थल में से काटे

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गये भूखण्ड संख्या 197–ए,बी,सी,डी, तथा 384–ए का आवंटन दिनांक 30.09.2010 को निरस्त किया गया है। निगरानी आदेश से पूर्व विधि द्वारा स्थापित न्यायिक प्रकिया की पालना विचारण न्यायालय द्वारा कताई नहीं की गई। विधि अनुसार आवंटन से पूर्व आबादी भूमि में से प्लान तैयार कर निलामी हेतु प्लाटों को सूचिबद्व किया जाकर सार्वजनिक रूप से आवेंदन पत्र आमंत्रित कर एतराजात का निस्तारण कर निलामी प्रकिया सार्वजनिक स्थलन (पंचायत घर) पर सम्पादित कर निलामी की जानी चाहिये थी। तत्पश्चात निलामी समिति द्वारा निलामी की स्वीकृति प्राप्त उपरान्त पट्टा जारी किया जाना चाहिये था, परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कोई कानून संगत कार्यवाही नहीं कर अवैध एवं शुन्य निगरानाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने पद का दुरूपयोग कर उप सरपंच के पति के रिश्तेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उदेश्य से आवंटन किया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 के पास पूर्व से ही आबादी भूमि में भूखण्ड है और वहां स्थाई निवास कर रहा है। प्रश्नगत आवंटित भूखण्ड सार्वजनिक डिग्गी स्थल में से किया गया है। डिग्गी मौके पर मौजूद है और डिग्गी का सार्वजनिक उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर की शिकायत जांच से पट्टा निरस्ती की कोई समुचित कार्यवाही नहीं होने से श्रीमान के समक्ष न्याय की गुहार प्रेषित की जा रही है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत 18 जी.जी. गोविन्दपुरा के आदेश दिनांक 05.06.2017 जिसकी रूह से सार्वजनिक डिग्गी स्थल में से 25X35 फुट का भूखण्ड आवंटित किया गया है–को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि निगरानी गलत आधारों पर पेश की गई है। नन्दराम को ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन आबादी भूमि का विक्रय उच्चतम बोली 25500/–रूपये दिये जाने पर उसी दिन उक्त राशि रसीद संख्या25 द्वारा उच्चतम बोली की पुष्टि करके जमा करवा ली गई व दिनांक 05.06.2017 को विक्रय विलेख नियम 167(1) की पालना मैं जारी करके दे दिया गया कब्जा भी उसी दिन से अप्रार्थी नन्दराम का चला आ रहा है जिसे अप्रार्थी नन्दराम द्वारा दिनांक 31.08.2018 को उप पंजीयक चुनावढ के पंजीबद्व करवाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि होने पर ही उक्त आवटन अप्रार्थी के हक में किया गया। अप्रार्थी को जिस जगह का आवंटन किया गया है चक 18 जीजी के मुरब्बा नम्बर 15 जो आबादी भूमि है के किला नम्बर 9 में आवंटन किया गया है जो डिग्गी या जोहड़ पायतन की जगह नहीं है। पटवारी द्वारा दिया गया नक्शा दिनांक 26.11.2018 जो रिकॉर्ड शामिल मिसल है से इसकी पुष्टि होती है। जहां तक अहाता संख्या 197(ख) को पूर्व में डिग्गी व जोहड़ की जगह मानकर खारिज करने का प्रश्न है ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर जांच करके ही आबादी भूमि होने पर अप्रार्थी के हक में आवंटन किया है। निगरानीकर्ता आत्माराम जो की इस जगह को आवंटन करवाना चाहता था, उसने लालचवंश गलत निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पूर्ण पालना करते हुए ही आंवटन किया गया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जाकर मुझ गैरनिगरानीकर्ता को किया गया अहाता संख्या 197(ख) का आवंटन बहाल रखा जावें।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निम्न नजीरे पेश की है:--

1. मनोहर लाल बनाम जिला कलक्टर (आर.आर.टी.) 2015(2) पेज-- 967
2. मदन गिरी बनाम धनराम आदि
3. बृजलाल बनाम स्टेट आदि

हस्तगत निगरानी में प्रश्नगत भूखण्ड हस्तगत निगरानी में प्रश्नगत भूखण्ड 197 (ए) गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 नन्दराम पुत्र श्योचन्द को ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन आबादी भूमि का विक्रय उच्चतम बोली 25500/-रूपये दिये जाने आवंटन किया गया है। गैरनिगरानीकर्ता नन्दराम द्वारा दिनांक 31.08.2018 को उप पंजीयक चुनावढ के पंजीबद्व करवाया गया। गैरनिगरानीकर्ता द्वारा यह कथन करना कि अहाता संख्या 197 (ख) चक 18 जीजी के मुरब्बा नम्बर 15 जो आबादी भूमि है के किला नम्बर 9 में आवंटन किया गया है जो डिग्गी या जोहड़ पायतन की जगह नहीं है का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध नक्शा मौका पटवारी में गैरमुमकिन जोहड़ 8.345 हैक्टर अंकित किया गया। उक्त कौनसे मुरब्बा नम्बर/किला नम्बर का है अंकित नही है जिससे यह कहना कि उक्त रकबा डिग्गी/जोहड़ पायतन का है या नही प्रमाणित नहीं होता है। न्यायालय के प्रकरण संख्या 56/2008 अनवानी विकास अधिकारी श्रीगंगानगर बनाम ग्रा0प0 18 जीजी व ओमप्रकाश पुत्र जीराज में निर्णय दिनांक 30.09.2010 में निर्णय पारित किया गया है " **गैरनिगरानीकर्ता या उसके अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि विवादस्पद भूखण्ड ग्राम पंचायत की स्वीकृत आबादी क्षेत्र का हो-जिसका प्लान व नक्शा अनुमोदित हो। अलबता निगरानीकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत विभिन्न जांच प्रतिवेदनों में यह बताया गया है कि विवादस्पद भूखण्ड आबादी क्षेत्र में नहीं होकर जोहड़ पायतन या डिग्गी के क्षेत्र में अवस्थित है। अतः प्रथमदृष्टया उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत द्वारा बिना क्षेत्राधिकार की भूमि में एवं बिना विधिक प्रकिया अपनाए आवंटित किया जाना पाया जाता है। अतः निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर आवंटित भूखण्ड संख्या 197 (क) निरस्त किया जाता है उक्त निर्णय में अहाता संख्या 197(बी) का हवाला भी दिया गया है।** " उक्त निगरानी में विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में भी ऐसा कोई तथ्य/प्रमाण पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त भूखण्ड आबादी भूमि में स्थित हो। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकर्ता को आवंटित भूखण्ड संख्या 197 (ख) निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्री गंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर